न्यायालयः श्री मनीष कुमार पाण्डेय	जी0आर0 सं0–915 / 2021
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,	विचारण सं0–737 / 2026
व्यवहार न्यायालय, अरवल।	अरवल थाना कांड सं0–479 / 2021

<u>मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अरवल, बिहार</u>

<u>जिला–अरवल, बिहार</u>

<u>निर्णय की तिथि –30.05.2026</u>

<u>उपस्थितः श्री मनीष कुमार पाण्डेय</u>

<u>मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी अरवल, बिहार</u>

जी0आर0 सं0–915 / 2021
अरवल थाना कांड सं0–479 / 2021

सूचक	राज्य द्वारा सूचिका, पुष्पा देवी,
अभियोजन की तरफ से	श्रीमती रश्मि सिंह, सहायक लोक अभियोजक
अभियुक्तगण	1. महेन्द्र पासवान, उम्र–49 वर्ष, पिता–दिलचन्द पासवान, 2. चिन्ता देवी, उम्र–44 वर्ष, पति–महेन्द्र पासवान, सभी ग्राम–हसनपुर टाड़ी, थाना व जिला–अरवल।
प्रतिरक्षा के तरफ से	श्री रंजीत कुमार, विद्वान अधिवक्ता

संज्ञान अन्तर्गत धारा– 341, 342, 323, 504 / 34 भा0द0वि0।

आरोप अन्तर्गत धारा– 341, 342, 323, 504 / 34 भा0द0वि0।

1.अपराध की तारीख	12.12.2021
2.प्रथम सूचना तिथि	21.12.2021
3.संज्ञान की तिथि	05.05.2022
4.आरोप का गठन की तारीख	22.03.2023
5.साक्ष्य प्रारम्भ की तिथि	18.05.2023
6.निर्णय पर निर्धारित करने की तिथि	29.05.2026
7.निर्णय कि तिथि	30.05.2026
8.सजा आदेश की तिथि, यदि कोई हो,	

न्यायालयः श्री मनीष कुमार पाण्डेय **जी0आर0 सं0–915/2021**

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, **विचारण सं0–737/2026**

व्यवहार न्यायालय, अरवल। **अरवल थाना कांड सं0–479/2021**

अभियुक्तगण की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर मुक्त होने की तारीख	आरोपित अपराध	दोषमुक्त या दोषसिद्दि	निर्धारित सजा	विचारण के दौरान निरोध की अवधि
1.	महेन्द्र पासवान	गिरफ्तार नहीं हुए हैं	18.08.22	धारा– 341, 342, 323, 504/34 भा0द0वि0	दोषमुक्त		
2.	चिन्ता देवी	,,	,,				

अंतिम आदेश

1. प्रस्तुत दाण्डिक वाद में उपर नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–341, 342, 323, 504/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोप का सारांश सुनाया गया तथा अभियुक्तगण के विरुद्ध विचारण अंतर्गत धारा– 341, 342, 323, 504/34 भा0द0वि0 में प्रारंभ किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन का कथन यह है कि सूचिका पुष्पा देवी दिनांक–12.12.21 को समय करीब बारह बजे दिन में धान का बोझा ढोकर जैसे ही अपने घर के अंदर घुसी तो उसी समय भैसुर महेन्द्र पासवान एवं चिन्ता देवी एवं अन्य अभियुक्तगण सूचिका के साथ गाली गलौज करते हुए लाठी–डंडा से मारपीट करने लगे। विजेन्द्र पासवान सूचिका का बाल पकड़ कर पटक दिये तथा लात–घुसा से मारने लगे, सूचिका घर में अकेली रहती है, उसके पति बाहर रहकर मजदूरी करते हैं, सूचिका को अकेला पाकर के लोग उसके साथ हरदम गाली–गलौज एवं मारपीट करते रहते हैं। सूचिका उन लोगों से काफी तंगी तबाह हैं। झगड़ा का कारण यह है कि वे लोग सूचिका के गोतिया हैं, जब सूचिका अपने भैस को बांधती है तो वे लोग उसके भैंस को उसकी अनुपस्थिति में खोल कर भगा देते हैं, जिससे उसका भैंस बहुत दूर तक भाग जाती है। वे लोग कहते हैं कि यह जमीन मेरा है, जबकि उक्त जमीन मुझे बांट कर मिला है। सुलह समझौता होने के बाद भी उसके साथ गाली–गलौज एवं मारपीट करते हैं।

प्रकियात्मक इतिहास

3. प्रस्तुत मामले में दिनांक 05.03.2022 को अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा– 341, 342, 323, 504/34 भा0द0वि0 में संज्ञान लिया गया। मामले के दिनांक 22.03.2023 को अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा– 341, 342, 323, 504/34 भा0द0वि0 में आरोप का गठन गया। मामले में अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण का दावा किया। यह कि अभियोजन की तरफ से 03 साक्षी को प्रस्तुत किया गया है। साक्ष्य बंद किया गया, अभियुक्त का द0प्र0सं0 की धारा– 313 में बयान लिया गया,

Civil Court, Arwal

प्रतिरक्षा की तरफ से मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया तथा न ही दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया ।

अवधारण के लिए प्रश्न

4. अब मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन आरोप को साबित करने में सफल रहा है?

मंतव्य

5. प्रस्तुत दाण्डिक वाद में उपर्युक्त नामित अभियुक्त के विरूद्ध धारा– 341, 342, 323, 504/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोपित अपराध का विचारण किया गया। अभियोजन की तरफ से 03 साक्षी उपस्थित हुए। प्रतिरक्षा की तरफ से मौखिक साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया तथा न ही दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन साक्षी का नाम इस प्रकार से हैः–
अभि.साक्षी–01, पुष्पा देवी,
अभि.साक्षी–02, पार्वती कुमारी,
अभि.साक्षी–03 डॉ0 उमेश प्रसाद,
प्रतिरक्षा की तरफ से मौखिक साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया तथा प्रतिरक्षा की तरफ से न ही दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।

तदनुसार मामले पर विचार किया जाता हैः–

अभि0 साक्षी सं.1 पुष्पा देवी ने अपने मुख्य परीक्षण मे कहा कि केस मैं ही की थी, घटना बारह बजे दिन की है, दो साल पहले की घटना है, मैं अपने घर में अकेली थी, मेरी दोनों बेटी कोचिंग गई हुई थी, मेरे पति बाहर रहते हैं एक लड़का है जो हॉस्टल में रहता है, घर पर नहीं था। मैं घर से खाना खाकर निकली, तब महेन्द्र पासवान, चिन्ता देवी, ममता, विजेन्द्र, लालसा मेरे भैंस का खॅटा कवाड़ कर फेंक दिया तथा सभी मिलकर मुझे मारपीट करने लगे तथा गाली गलौज देने लगे, बिजेन्द्र मुझे लाठी से मारा तथा बोला कि तुमको जान मारकर हम जेल में जाएंगे। मेरे सर में चोट लगा था तथा पूरे शरीर पर लाठी से मारा था। उसके बाद मैं सदर अस्पताल, अरवल में इलाज कराने गई, वहां से फिर थाना गए। मेरे कहने पर थाना के मुंशी जी आवेदन लिखे थे, जिसपर मेरा हस्ताक्षर है, जिसे पहचानती हूं, इसे प्रदर्श–1 अंकित किया जाता है। चिन्ता देवी न्यायालय में उपस्थित हैं, पहचानती हूं, अन्य को देखकर पहचान लूंगी।

अभि. साक्षी संख्या 1 पुष्पा देवी ने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि घटना के दिन मैं घर पर थी। अभियुक्तगण मेरे गोतिया हैं, हम दोनों का घर अलग–अलग है। दस पन्द्रह कदम की दूरी पर है। अभी मेरे पास एक भैंस और एक काड़ी है। घटना के दिन एक भैंस और एक भैंस का बच्चा था। घटना से तीन महीना पहले मेरे पति घर से बाहर गए थे। अभियुक्त महेन्द्र पासवान को भैंस का खूंटा कवाड़ते हुए देखी थी, लेकिन हम कुछ नहीं बोले। अन्य सभी अभियुक्त वहीं पर थे, जो मुझे गाली गलौज कर रहे थे। हम डर से नहीं बोले थे। घटना स्थल की

Civil Court, Arwal

न्यायालयः श्री मनीष कुमार पाण्डेय **जी0आर0 सं0–915/2021**

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, **विचारण सं0–737/2026**

व्यवहार न्यायालय, अरवल। **अरवल थाना कांड सं0–479/2021**

चौहद्दी उत्तर–मनोहर पासवान का जानवर का खूंटा, दक्षिण–रामनुज का जमीन, पूरब–मेरा घर, पश्चिम–जसपाल एवं रामानुज का जमीन। हम दोनों के बीच में कोई जमीन का विवाद नहीं चल रहा है। अभियुक्त बिना कारण के खूंटा कवाड़ दिया था अभियुक्त का खूंटा मेरे खूंटा से दस कदम की दूरी पर है। अभियुक्तगण लोग भी वहां पर भैंस जानवर बांधता है। झगड़ा करते समय गांव के पप्पु पिता–बबन आया था। पप्पु उसी रास्ता से जा रहा था। पप्पु झगड़ा को छुड़ा रहा था, गांव के दो चार लोग थे, लेकिन नाम नहीं बता सकते हैं। सभी लोग उसी रास्ता से जा रहे थे, पप्पु का घर मेरे घर से बहुत दूर है। इलाज कराने में अपने गांव के रोड से सदर अस्पताल अरवल इलाज कराने अकेली आई थी। अस्पताल में एक बजे दिन में पहुंची थी। अस्पताल से मुझे आठ बजे रात में छोड दिया गया था, इलाज में मुझे सूई, दवाई हुआ था। मेरा सर फुट गया था, जिसमें केवल दवा लगा दिया गया था। मेरा चार बजे तक इलाज चला था। चार बजे के बाद हम लौट गए थे, इलाज का पुर्जा न्यायालय में दाखिल है। मेरे सास ससुर घर पर नहीं थे। खेत पटाने गए थे, मेरे सास ससुर शाम सात बजे घर पर आए थे, मैं शाम सात आठ बजे अपने घर पहुंची थी, मैं सदर अस्पताल से थाना में महिला पुलिस लेकर गई थी। मैं मोटरसाईकिल से अस्पताल से थाना गई। किसका मोटरसाईकिल था, मैं नहीं पहचानती थी, जो मोटरसाईकिल चला रहा था, उसे भी नहीं पहचानती हूं। अनजान आदमी मोटरसाईकिल चला कर ले गया था। वह आदमी मुझे थाना में पहुंचा कर चला गया था। थाना में चार बजे दिन में पहुंची थी, थाना में एक डेढ़ घंटा रूकी थी, थाना में आवेदन देने के बाद शाम सात बजे घर गई थी, थाना से टेम्पु से घर गई थी, थाना से मेरा घर पांच किलोमीटर है। टेम्पु से घर जाने में आधा घटा लगा था। अभियुक्त भी मेरे उपर केस किए हैं या नहीं मुझे पता हनीं है। ऐसी बात नहीं है कि अभियुक्त से जमीनी विवाद को लेकर झूठा केस किए हैं।

अभि0 साक्षी सं.2 पार्वती कुमारी ने अपने मुख्य परीक्षण मे कहा कि दिनांक–21.12.21 को अरवल थाना में पु0अ0नि0 के पद पर पदस्थापित थी। इस दिन अरवल थाना कांड सं0–479/21 का अनुसंधान भार थानाध्यक्ष शम्भु पासवान के आदेश से ग्रहण किया, प्राथमिकी के आवेदन पर पृष्ठांकन इनके लिखावट एवं हस्ताक्षर में है, इसे पहचानती हूं, इसे प्रदर्श पी2–पी.डब्लु 2 अंकित किया गया। अनुसंधान भार ग्रहण पश्चात दिनांक–21.12.21 को ही वादिनी का पुनः बयान लिया। उसके बाद घटना स्थल के निरीक्षण के लिए प्रस्थान की, घटना स्थल अरवल थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम– हसनपुर टाड़ी स्थिति वादिनी के घर के आगे है। घटना स्थल के उत्तर रामानंद शर्मा का खेत, दक्षिण दिलचन्द्र पासवान का गैरमजरूआ जमीन, पूरब–सड़क उसके बाद सहदेव पासवान का घर व पश्चिम–रामनुज शर्मा का खेत हे। साक्षी हिरामणी देवी, सुनील पासवान का बयान ली, इन्होंने बताया कि वादिनी पुष्पा देवी को महेन्द्र पासवान, गोतनी चिन्ता देवी गाली–गलौज करते हुए लाठी, डंडा से मारपीट कियां झगड़ा का कारण जमीनी विवाद है। अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास नहीं पाया गया। दिनांक–20.01.22 को धारा–41 द0प्र0स0 का नोटिस देकर उन्हें बंधपत्र पर मुक्त किया गया। दिनांक–20.01.22 को जख्म

Civil Court Arwal

न्यायालयः श्री मनीष कुमार पाण्डेय **जी0आर0 सं0–915/2021**

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, **विचारण सं0–737/2026**

व्यवहार न्यायालय, अरवल। **अरवल थाना कांड सं0–479/2021**

प्रतिवेदन प्राप्त की। दिनापंक–25.02.22 किो साक्षी लवकुश का बयान लिया गया। मामले को सत्य पाते हुए आरोप पत्र सं0–131/22 दिनांक–31.03.22 धारा–341, 323, 354, 504/34 अभियुक्तगण महेन्द्र पासवान व चिन्ता देवी के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया। आरोप पत्र मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में है, इसे पहचानती हूं, इसे प्रदर्श–पी03–पी.डब्लु. 2 अंकित किया गया। अभियुक्तगण को देखकर पहचान लूंगी।

अभि. साक्षी संख्या 2 पार्वती कुमारी ने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि घटना के करीब छह महीना पहले से अरवल थाना में पदस्थापित थी। इस केस के पूर्व भी अन्य केस में अनुसंधानकर्ता के रूप में काम की हूं। जिस समय सूचिका थाना मे ंआवेदन लिखकर दे रही थी, उस समय मैं स्वयं थाना में उपस्थित थी, आवेदन स्वयं सूचिका लिखी थी, प्राथमिकी दर्ज का समय 22:20 बजे हें अनुसंधान समय 22:20 बजे ही प्रारंभ की हूं। वादिनी का पुनः बयान थाना में ही ली थी, पुनः बयान लेने का समय अंकित नहीं की हूं। थाना से घटना स्थल की दूरी कितनी है, यह डायरी में नहीं लिखी हूं। घटना स्थल पहुच कर निरीक्षण की। घटना स्थल की चौहद्दी में अंकित चारों व्यक्ति में से किसी का बयान नहीं लिया। साक्षी हिरामणी देवी, सुनील कुमार व लवकुश तीनों घ्झटना के समय उपस्थित थे या नहीं इसका वर्णन केस दैनिकी में नहीं की हूं। प्राथमिकी में कुल पांच अभियुक्त का नाम था, परन्तु साक्षियों ने विजेन्द्र पासवान, लालसा देवी व ममता कुमारी का घटना में संलिप्तता से इंकार किया है, जिसके आधार पर इन लोगों के विरूद्ध आरोप सही नहीं पाया गया है। दोनों पक्ष आपस में गोतिया हें, महेन्द्र पासवान सूचिका का भैंसुर है, अनुसंधान के दौरान सूचिका से भैंसुर से बंटवारा संबंधित कोई कागजात का मांग नहीं की। महेन्द्र पासवान के घर के आगे गैरमजरूआ जमीन था, जिसपर सूचिका भैंस बांधती थी, जिसका विरोध अभियुक्त द्वारा किया जाता था तथा इसी को लेकर झगड़ा हुआ। अनुसंधान के कम में अभियुक्तों का सफाई बयान नहीं ली।

अभि0 साक्षी सं.3 डॉ0 उमेश प्रसाद ने अपने मुख्य परीक्षण मे कहा कि on 12-12-21 I was posted at Sadar Hospital Arwal as Medical Officer. On the basis of the requisition received from the police which is marked as exhibit P1/PW3. I examined Puspha Devi age-30 years w/o-Manoj Paswan on 12.12.21 at 02:20 PM. And found following injuries on her body. This is marked as exhibit P2/PW3

अभि. साक्षी संख्या.3 डॉ0 उमेश प्रसाद ने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि I do not remember the timeline exactly of my posting at Sadar Hospital Arwal. Victim Pushpa Devi reached Hospital at 02:20 PM. I did not find any external injury on the body of Puspha Devi. I made medical report in the light of the receipt of forwarding of the police.

Civil Court, Arwal

न्यायालयः श्री मनीष कुमार पाण्डेय **जी0आर0 सं0–915/2021**

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, **विचारण सं0–737/2026**

व्यवहार न्यायालय, अरवल। **अरवल थाना कांड सं0–479/2021**

6. मामले में प्रतिरक्षा ने बहस करते हुए कहा कि मामले में कुल छः साक्षियों में केवल तीन साक्षी का साक्ष्य हुआ है, अन्य तीन साक्षी का साक्ष्य नहीं हुआ है। उभय पक्ष गोतिया हैं। झगड़ा का कारण जमीनी विवाद है। प्रथम सूचना प्रतिवेदन एवं सूचिका के बयान में विरोधाभाष है। इस प्रकार से अभियोजन घटना संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त करने की कृपा किया जाए।

7. अभियोजन ने मामले मे बहस करते हुए कहा कि मामले में तीन साक्षी ने घटना का समर्थन किया है। अभियुक्तगण द्वारा किया गया कृत्य गंभीर और आपराधिक है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करने की कृपा किया जाए।

8. मामले मे उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। साक्षी के बयान के अवलोकन के पश्चात न्यायालय यह पाती है कि प्रस्तुत मामले में कुल छः साक्षियों में तीन साक्षी का साक्ष्य हुआ है। स्वतंत्र साक्षी का साक्ष्य नहीं हुआ है। सूचिका के बयान, प्रथम सूचना प्रतिवेदन में विरोधाभाष है। मामले में जमीनी विवाद है। सूचिका द्वारा बताया गया घटना स्थल एवं अनुसंधानकर्ता द्वारा बताये गये घटना स्थल में विरोधाभाष है। इस प्रकार से मामले में घटना स्थल प्रमाणित नहीं है तथा इस बारे में अनुसंधानकर्ता ओर सूचक के साक्ष्य में विरोधाभाष है। इस प्रकार से मामले में अभियोजन आरोपित धाराओं 323, 324, 379, 354, 504/34 भा0द0वि0 संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। तद्नुसार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

9. प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण 1. महेन्द्र पासवान, उम्र–49 वर्ष, पिता–दिलचन्द पासवान, 2. चिन्ता देवी, उम्र–44 वर्ष, पति–महेन्द्र पासवान, सभी ग्राम–हसनपुर टाड़ी, थाना व जिला–अरवल को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा– 341, 342, 323, 504/34 भा0द0वि0 से संदेह के आधार पर दोषमुक्त किया जाता है एवं बंधपत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

दिनांकः–30.05.2026 लेखापित एवं संशोधित

स्थानः–व्यवहार न्यायालय, अरवल

मनीष कुमार पाण्डेय

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,

जे0 ओ0 कोड–BR00961

अरवल, बिहार।

Civil Court, Arwal

न्यायालयः श्री मनीष कुमार पाण्डेय **जी0आर0 सं0—915/2021**

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, **विचारण सं0—737/2026**

व्यवहार न्यायालय, अरवल। **अरवल थाना कांड सं0—479/2021**

10. यह निर्णयादेश मेरे द्वारा टंकित, शुद्धिकृत, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः—30.05.2026 लेखापित एवं संशोधित

स्थानः—व्यवहार न्यायालय, अरवल।

मनीष कुमार पाण्डेय

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,

जे0 ओ0 कोड—BR00961
अरवल, बिहार।

परिशिष्ट

अभियोजन, प्रतिरक्षा, न्यायालय साक्षी की सूची

क—अभियोजन साक्षी की सूची
अभियोजन की तरफ से 03 साक्षी प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन साक्षी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
1	पुष्पा देवी	अभि. साक्षी
2	पार्वती कुमारी	अभि. साक्षी
3	डॉ0 उमेश प्रसाद	अभि. साक्षी

ख—प्रतिरक्षा द्वारा न्यायालय में साक्षी प्रस्तुत नहीं है।

प्रतिरक्षा साक्षी संख्या	नाम	साक्ष्य की प्रकृति

अभियोजन, प्रतिरक्षा, न्यायालय प्रदर्श की सूची
क— अभियोजन की तरफ से प्रदर्श प्रस्तुत है।

कम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श—1	प्रथम सूचना प्रतिवेदन पर सूचिका का हस्ताक्षर
2	प्रदर्श—2	जख्म प्रतिवेदन
3	प्रदर्श—3	आरोप पत्र पर अनुसंधानकर्ता का हस्ताक्षर

ख—प्रतिरक्षा, की तरफ से दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किया गया है।

Civil Court, Arwal

न्यायालयः श्री मनीष कुमार पाण्डेय **जी0आर0 सं0—915 / 2021**

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, **विचारण सं0—737 / 2026**

व्यवहार न्यायालय, अरवल। **अरवल थाना कांड सं0—479 / 2021**

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण

दिनांकः—30.05.2026 लेखापित एवं संशोधित

स्थानः—व्यवहार न्यायालय, अरवल।

मनीष कुमार पाण्डेय

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,

जे0ओ0 कोड—BR00961

अरवल, बिहार।

Civil Court, Arwal